

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका  
नई दिल्ली - 110067.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/184  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00167  
CICOM/R/2018/00645

दिनांक: 26.07.2018

अपीलकर्ता : श्री चन्द्र रतन बजाज,  
मकान नं. 811, सेक्टर - 15ए,  
पहली मंजिल, फरीदाबाद,  
हरियाणा - 121007.

निर्णय की तारीख: 26.07.2018

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 25.06.2018                      |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि           | 28.06.2018                      |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री ए. के. शर्मा               |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 18.07.2018                      |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 347/20.07.2018 (706/19.07.2018) |

- अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.06.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सर्विस बुक में कांट-छांट/हेरा-फेरी एवं सर्विस बुक की फोटा कॉपी मांगे जाने से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

राकेश .

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

26/07/18  
A.K.S.  
JL

